(121)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल कैम्प संभाग रीवा म.प्र.

R 5045-दो/15

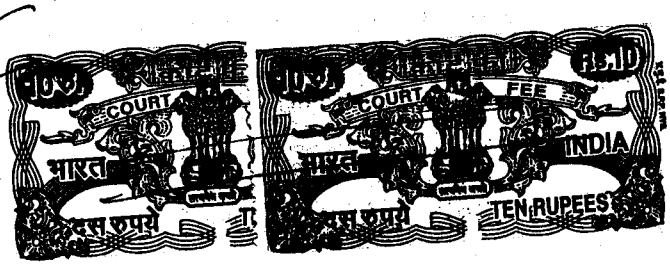

397
11-9-15

सावित्री देवी कोल पत्नी विशुन्था कोल सा. तपा तह. रामपुर बघेलान जिला सतना म.प्र.

.....................~~निगरानीकर्ता~~ अपीलांट

विरूद्ध

1— बुद्धसेन तनय देवीदीन चमार

2— देवीदीन तनय श्री रामशरण चमार

3— बेवा धोखिया पत्नी रामाशरण चमार

सभी निवासी ग्राम तथा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला सतना म.प्र.

.....................~~अनावेदकगण~~ रेस्पो.

श्री. सुशील अग्रवाल एड. के द्वारा आज दिनांक 11-9-15 प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरूद्ध निगरानी प्रकरण क्र. 283/05—06 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.10.2008 का मौका दिए जाने व गुण अवगुण पर निराकरण किए जाने बाबत् अंतर्गत धारा 44(2)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपीलांट अपढ़ आदिवासी एवं गरीब महिला है विवादित भूमियॉ अपीलांट के पूर्वज रजवा के स्वत्व व स्वामित्व की भूमियॉ हैं वर्तमान में अपीलॉट ही उक्त भूमि में स्वत्व व स्वामित्व रखती है वर्ष 1999 में रेस्पाडेंटगणों द्वारा अपीलॉट को बगैर पक्षकार बनाए व बगैर सूचना के विवादित भूमियों का वासस्थान दखल कारण अधिनियम के तहत प्रकरण क्र. 25, 26, 27/बी —121/98—99 में पारित कथित आदेश दिनांक 02.07.99 को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा व्यवस्थापन कर दिया गया।

जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा कलेक्टर महोदय सतना के यहॉ आवेदन किया जिस पर कलेक्टर सतना द्वारा विधिवत जॉच करवाकर व्यवस्थापन का आदेश अवैध एवं आधारहीन होने के कारण प्रकरण क्र. 31 अ 74/04—05 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5045–दो/2015 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 25–10–08 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश को गुणा–गुण पर निराकरण करने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 25–10–08 को अंतिम आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) के अन्तर्गत पुर्नस्थापन आवेदन पेश किया जो अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27–7–15 खारिज किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। आवेदिका यदि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25–10–08 को चुनौती देनी चाहिए था। यदि कुछ देर के लिए उक्त आदेश को चुनौती दिया जाना मान भी लिया जाये तब प्रकरण में समय–सीमा का बिन्दु उत्पन्न हो जायेगा। ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	